रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 631] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 1986/पौष 9 1908
No. 631] NEW DELHI, TUESDAY, DEC. 30, 1986/PAUSA 9, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1986

अधिसूचना

सा. का. नि. 1338(अ):—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर अपील अधिकरण, सदस्य (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर अपील अधिकरण सदस्य (भर्ती और सेवा की शर्तें) दूसरा संशोधन नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर अपील अधिकरण सदस्य (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1963 के नियम 11 में, "आयु प्राप्त कर ली है" शब्दों के पश्चात "और न कि मास की अन्तिम तारीख जैसे कि अन्य सरकारी सेवकों की दशा में है" शब्द जोड़े जाएंगे ।

[फा. सं. ए-12018(6)/86-प्रशा. 3 (विधा.)]
डा. पी. सी. राव, संयुक्त सचिव, एवं विधि सलाहकार

टिप्पण:—मूल नियम सा. का नि. सं. 1265 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्न प्रकार संशोधन किए गए हैं :—

(1) सा. का. नि. सं. 1864 तारीख 16-12-1965
(2) सा. का. नि. सं. 4 तारीख 26-12-72
(3) सा. का. नि. सं. 576 तारीख 23-5-81
(4) सा. का. नि. सं. 905 तारीख 16-9-1981
(5) सा. का. नि. सं. तारीख 21-1-1984
(6) सा. का. नि. सं. तारीख 24-5-1984
(7) सा. का. नि. सं. तारीख 29-11-1985
(8) सा. का. नि. सं. 1003(एफ) तारीख 4-8-1986

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 29th December, 1986

NOTIFICATION

G.S.R. 1338(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963, namely :—

(1) These rules may be called the Income-tax Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Second Amendment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963 in rule 11, after the words "sixty years" the words "and not the last date of the month as in the case of other Government servants" shall be added.

[F. No. A. 12018(6)|86-Adm. III(LA)]
Dr. P. C. RAO, Jt. Secy. and Legal Adviser

Notes : The Principal rules were published vide G.S.R. No. 1265 and have been subsequently amended as under :—

(i) G.S.R. No. 1864 dated 16-12-1965.
(ii) G.S.R. No. 4 dated 26-12-1972.
(iii) G S.R. No. 576 dated 23-5-1981.
(iv) G.S.R. No. 905 dated 16-9-1981.
(v) G.S.R. No dated 12-1-1984.
(vi) G.S.R. No. dated 24-5-1984.
(vii) G S.R. No. dated 29-11-1985.
(viii) G.S.R. No. 1003 (F) dated 4-8-1986

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986